जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-27.05.2025**

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा जुआ अधिनियम के अन्तर्गत 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 3840/- रुपये की नगदी बरामदः-

आज दिनांक 27.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ लगाते हुए 03 जुआरी को 3840/- रुपये सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.अली मौहम्मद पुत्र आलम अली निवासी अब्दालनगर थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.जुनैद पुत्र अख्तर निवासी अब्दालनगर थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.गुल्फान पुत्र फरमान निवासी भडी भरतपुरी थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.नगदी 3840/- रुपये।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1.है0का0 आशीष कुमार चौकी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.है0का0 मनोज कुमार चौकी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.है0का0 आशीष कुमार चौकी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 03 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 27.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 03 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.दीपक पुत्र कालूराम निवासी ग्राम बुटराडी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.कालूराम उर्फ कालू सिंह पुत्र चन्द्रभान निवासी ग्राम बुटराडी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

3.सुमित पुत्र कालूराम निवासी ग्राम बुटराडी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 20 लीटर कच्ची शराब बरामदः-

दिनांक 27.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को अवैध 20 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.मोबीन पुत्र आलिम निवासी ग्राम घोटापुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

2.इन्सार पुत्र मेहन्दी निवासी ग्राम इस्सोपुर खुरगान थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 20 लीटर कच्ची शराब।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री अजयपाल सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.है0का0 शेखर कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.है0का0 संजीव कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

4.का0 शिवम सौरान थाना झिंझाना जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 02 अलग-अलग मामलों में 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई सजा व 7500/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-

1.-वर्ष 2009 में अभियुक्त राममेहर पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम करौंदा हाथी थाना बाबरी जनपद शामली के विरुद्ध थाना आदर्शमंडी पर मु0अ0सं0 586/09 धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 27.05.2025 को माननीय न्यायालय एडीजी/एफटीसी, कैराना शामली द्वारा

अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुये 02 वर्ष का साधारण कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।

2.- वर्ष 2009 में अभियुक्त शहजाद पुत्र सालिम निवासी मौहल्ला अफगानान कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 993/09 धारा 25/4 आर्म्स अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 27.05.2025 को माननीय न्यायालय एसडी/एसीजेएम शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुये जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 2500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।